विवेक नन्द गिरी

बनाम

नवल किशोर साही

16 फरवरी, 1984

[एस. मुर्तजा फजल अली, ए. वरदराजन और रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्तिगण]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (4) - नामांकन पत्र - नामांकन पत्र में और निर्वाचक नामावली में उल्लिखित अभ्यर्थी की आयु में विसंगति - नामांकन पत्र का निष्कासन - क्या वैध और उचित है।

अपीलकर्ता राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुआ था और प्रथम उत्तरदाता, जो हारा हुआ अभ्यर्थी था, ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों में से एक के नामांकन पत्रों के अनुचित निष्कासन के कारण निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के लिए एक निर्वाचन याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चार नामांकन पत्रों को अस्वीकार कर दिया था, जिनमें से तीन इस आधार पर कि अभ्यर्थी के क्रमांक और भाग संख्या निर्वाचक नामावली के संदर्भ में गलत थे, और चौथा इस आधार पर कि अभ्यर्थी की आयु में अंतर था।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी नामांकन पत्र को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि त्रुटि तात्त्विक स्वरूप की न हो, और निर्वाचक नामावली तथा नामांकन पत्र में दी गई अभ्यर्थी की आयु में अंतर कोई तात्त्विक त्रुटि नहीं थी और नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को किसी भी त्रुटि को दूर करने का कोई अवसर नहीं दिए जाने के कारण, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की अस्वीकृति अनुचित थी, और उस आधार पर अपीलकर्ता के निर्वाचन को अमान्य घोषित करते हुए अपास्त कर दिया गया।

अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित:1. आयु में अंतर के आधार पर नामांकन पत्र का निष्कासन अनुचित था, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, त्रुटि तात्त्विक स्वरूप की नहीं है। फलस्वरूप, नामांकन पत्र के अनुचित निष्कासन के आधार पर अधिनियम की धारा 100 (1) (ग) के तहत अपीलकर्त्ता का निर्वाचन अमान्य है। [564 ई- एफ]

वर्तमान मामले में, निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में दर्ज अभ्यर्थी की आयु में अंतर धारा 33 (4) के परंतुक में उल्लिखित 'अशुद्ध वर्णन' की श्रेणी में आएगा और इसलिए उक्त परंतुक की भाषा को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित करना या इसकी उपेक्षा करना निर्वाचन अधिकारी के लिए बाध्यकारी था। [563 एच; 564 ए]

2. किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होने के लिए व्यक्ति की आयु अर्हता तिथि पर 21 वर्ष होनी चाहिए और किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्र की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी की आयु के प्रश्न के संबंध में तात्त्विक आवश्यकता यह है कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो, न कि यह कि निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी की आयु में 4 वर्ष का अंतर था जैसा कि वर्तमान मामले में है। आयु में अंतर तात्त्विक स्वरूप की त्रुटि नहीं है। [562 जी-एच; 564 सी-डी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1983 की दीवानी अपील संख्या 10811

पटना उच्च न्यायालय के ई.पी. 27 में दिनांक 11-10-83 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्त्ता की ओर से *डॉ. एल.एम. सिंघवी, के.एन. राय और ए.एम. सिंघवी।*

उत्तरदाता की ओर से *एल.आर. सिंह, ए. शरण और सलमान खुर्शीद।*

मध्यवर्ती की ओर से *डी.पी. सिंह और डी.पी. मुखर्जी।*

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

वरदराजन, न्यायामूर्ति. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है, की धारा 116 (क) के तहत यह अपील पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्वाचन याचिका संख्या 27/1980 के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें राम कुमार झा नामक एक व्यक्ति के नामांकन पत्रों के अनुचित निष्कासन के कारण रुन्नी सैदपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 64, से बिहार विधानसभा के लिए अपीलकर्ता के निर्वाचन को अमान्य घोषित करते हुए अपास्त कर दिया गया है। निर्वाचन याचिका हारा हुआ अभ्यर्थी प्रथम उत्तरदाता, नवल किशोर साही द्वारा दायर की गई थी। निर्वाचन 31-5-1980 को हुआ था और गणना के बाद 1-6-1980 को परिणाम घोषित किए गए थे। अपीलकर्ता, जिसने कांग्रेस (जे) के अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ा था, ने 38,463 मत प्राप्त किए, जबकि उत्तरदाता, जिसने जनता पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ा था, ने 26,991 मत प्राप्त किए। अन्य अभ्यर्थियों ने बहुत कम मत प्राप्त किए और अपीलकर्ता, जिसने उत्तरदाता पर 11,472 मतों का बहुमत प्राप्त किया था, को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमने 8-2-1984 को बिना किसी लागत के अपील को खारिज कर दिया था, जिसके कारण बाद में दिए जाने थे। अब हम उन कारणों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

उत्तरदाता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचारण के दौरान केवल एक ही आधार पर बल दिया और वह था राम कुमार झा के नामांकन पत्रों का कथित अनुचित अस्वीकृति, जिन्होंने 39 से 42 तक क्रमांकित चार नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्र संख्या 39 में प्रस्तावक एक नंद लाल साह थे जबकि नामांकन पत्र संख्या 40 में प्रस्तावक एक गणेश प्रसाद गौड़ थे। नामांकन पत्र संख्या 41 और 42 में प्रस्तावक राम कुमार झा के अपने भाई बीरेन्द्र कुमार झा थे, जिन्होंने अपीलकर्ता की ओर से उत्तरदाता साक्षी संख्या 9 के रूप में साक्ष्य दिया है। राम कुमार झा के सभी चार नामांकन पत्र 2-5-1980 को निर्वाचन अधिकारी (उत्तरदाता साक्षी संख्या 7) के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और

उन्होंने राम कुमार झा के सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा की। राम कुमार झा ने नामांकन पत्र संख्या 39 में क्रमांक और भाग संख्या क्रमशः 415 और 13, नामांकन पत्र संख्या 40 में 391 और 17, नामांकन पत्र संख्या 41 में 324 और 14 तथा नामांकन पत्र संख्या 42 में 326 और 14 उल्लिखित की थी। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र संख्या 39 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अभ्यर्थी का क्रमांक और भाग संख्या निर्वाचक नामावली प्रदर्श 4 के संदर्भ में गलत थी, नामांकन पत्र संख्या 40 को इस आधार पर कि अभ्यर्थी का क्रमांक और भाग संख्या गलत थी और अभ्यर्थी की आयु का उल्लेख नहीं था, नामांकन पत्र संख्या 41 को इस आधार पर कि अभ्यर्थी का क्रमांक गलत था और नामांकन पत्र संख्या 42 को इस आधार पर कि अभ्यर्थी की आयु में अंतर था। राम कुमार झा ने 2-5-1980 के अपने नामांकन पत्र संख्या 42 में, जिसके संबंध में हमारे समक्ष तर्क सीमित था, यह घोषणा की थी कि उन्होंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्ष 1980 में तैयार की गई निर्वाचक नामावली प्रदर्श 4 में उनकी आयु 37 वर्ष उल्लिखित है। निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश प्रदर्श बी से बी-3 द्वारा उपरोक्त आधारों पर उन चार नामांकन पत्रों प्रदर्श 2 से 2 (ग) के अस्वीकृति के बारे में उत्तरदाता साक्षी संख्या 7 के रूप में साक्ष्य दिया है।

अधिनियम की धारा 100 (1) (ग) यह प्रावधान करती है कि यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि कोई नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है, तो वह निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर देगा। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि किसी भी नामांकन पत्र को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि त्रुटि तात्त्विक स्वरूप की न हो, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के लिए जारी निर्देशिका के कंडिका 13 (i) में भी निर्दिष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी पाया कि निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में दी गई अभ्यर्थी की आयु में अंतर कोई तात्त्विक

त्रुटि नहीं है और 2-5-1980 को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी राम कुमार झा को किसी भी त्रुटि को दूर करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, यद्यपि अधिनियम की धारा 33 (4) यह निर्धारित करती है कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर निर्वाचन अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्रों में दर्ज अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावकों के नाम और निर्वाचक नामावली संख्या वही हैं जो निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों प्रदर्श 2, 2-क और 2-ग की अस्वीकृति अनुचित थी। उस दृष्टि से, उन्होंने निर्वाचन याचिका को बिना किसी लागत के केवल अपीलकर्त्ता के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की सीमा तक स्वीकार कर लिया, जो निर्वाचन याचिका में मांगी गई एकमात्र राहत थी।

हमारे समक्ष, अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एल.एम. सिंघवी ने राम कुमार झा के भाई बीरेन्द्र कुमार झा (उत्तरदाता साक्षी संख्या 9) सहित कुछ साक्षियों के साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि राम कुमार झा ने किसी सफल अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका दायर करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से किसी मिलीभगत के तहत नामांकन पत्र दाखिल किए थे। किंतु किसी मिलीभगत या कपट के बारे में विशिष्ट अभिकथन और मिलीभगत के संबंध में किसी विवाद्यक के अभाव में हमने मिलीभगत के प्रश्न पर कोई तर्क सुनने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप, अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित डॉ. सिंघवी और उत्तरदाता की ओर से उपस्थित श्री एल.आर. सिंह द्वारा हमारे समक्ष केवल इसी बिंदु पर बहस की गई कि क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा राम कुमार झा के नामांकन पत्रों को अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया था और इसलिए अपीलकर्त्ता का निर्वाचन अधिनियम की धारा 100 (1) (ग) के तहत अमान्य है।

अधिनियम की धारा 33 (6) यह निर्धारित करती है कि उस धारा की कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट होने से नहीं रोकेगी। परंतु उसके परंतुक में कहा गया है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा

या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 19 यह निर्धारित करती है कि अधिनियम के भाग 3 में निहित पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जो अर्हता तिथि पर 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है और किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। इसलिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होने के लिए व्यक्ति को सामान्यतः उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और अर्हता तिथि पर उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता निर्धारित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 173 यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान न कर ले, और विधानसभा की सीट के मामले में उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और विधान परिषद की सीट के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो; और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके संबंध में निर्धारित की गई हों। इसलिए, किसी राज्य की विधानसभा में सीट भरने के लिए चुने जाने का हकदार होने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान मामले में 1980 में तैयार की गई निर्वाचक नामावली प्रदर्श 4 में राम कुमार झा की आयु 37 वर्ष दर्ज है, जबकि उन्होंने प्रदर्श 2-ग के रूप में चिह्नित नामांकन पत्र संख्या 42 में घोषित किया है कि उन्होंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। जैसा कि पहले कहा गया है, निर्वाचन अधिकारी (उत्तरदाता साक्षी संख्या 7) द्वारा नामांकन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी की आयु में अंतर है और यह किसी अन्य आधार पर

आधारित नहीं है। किसी का भी यह मामला नहीं है कि निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में उल्लिखित आयु के इस अंतर के कारण अभ्यर्थी राम कुमार झा की पहचान के संबंध में कोई कठिनाई हुई। इसलिए विचारणीय बिंदु यह है कि क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में आयु के अंतर के आधार पर इस नामांकन पत्र की अस्वीकृति अनुचित है। अधिनियम की धारा 33 (4) यह निर्धारित करती है कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर, निर्वाचन अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्र में दर्ज अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम और निर्वाचक नामावली संख्या वही हैं जो निर्वाचक नामावलियों में दर्ज हैं। उस उप-धारा का परंतुक इस प्रकार है:

> "बशर्ते यह कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के संबंध में, या निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में उल्लिखित किसी स्थान के संबंध में कोई गलत नाम या अशुद्ध वर्णन या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि और निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति की निर्वाचक नामावली संख्या के संबंध में कोई लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि, ऐसे व्यक्ति या स्थान के संबंध में निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र के पूर्ण प्रवर्तन को किसी भी ऐसे मामले में प्रभावित नहीं करेगी जहां व्यक्ति या स्थान के संबंध में वर्णन ऐसा हो जिसे सामान्यतः समझा जा सके; और निर्वाचन अधिकारी ऐसे किसी भी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन या लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति देगा और जहां आवश्यक हो, निर्देश देगा कि निर्वाचक नामावली में या नामांकन पत्र में ऐसे किसी भी गलत नाम, अशुद्ध वर्णन, लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण त्रुटि की उपेक्षा की जाए।"

हमारी यह राय है कि अभ्यर्थी राम कुमार झा की निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में दर्ज आयु में अंतर उपरोक्त परंतुक में उल्लिखित 'अशुद्ध वर्णन' की श्रेणी में आएगा

और परंतुक की भाषा को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित करवाना या इसकी उपेक्षा करना निर्वाचन अधिकारी के लिए बाध्यकारी था।

अधिनियम की धारा 36 (4) यह निर्धारित करती है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को ऐसी किसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा जो तात्त्विक स्वरूप की न हो। जैसा कि पहले कहा गया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होने के लिए व्यक्ति की आयु अर्हता तिथि पर 21 वर्ष होनी चाहिए और किसी राज्य के विधानमंडल में सीट भरने के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राम कुमार झा ने नामांकन पत्र संख्या 42 में घोषित किया था कि उन्होंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इसलिए, अभ्यर्थी राम कुमार झा की आयु के प्रश्न के संबंध में तात्त्विक आवश्यकता यह थी कि नामांकन पत्र की संवीक्षा के समय उन्होंने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वे उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हों, न कि यह कि अभ्यर्थी की आयु में 4 वर्ष का अंतर था जैसा कि निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में उल्लिखित है। हमारी राय में यह अंतर तात्त्विक स्वरूप की त्रुटि नहीं है। चूंकि नामांकन पत्र संख्या 42 को अस्वीकृत इस आधार पर नहीं किया गया था कि निर्वाचक नामावली और नामांकन पत्र में उल्लिखित आयु में अंतर के कारण पहचान के संबंध में कोई कठिनाई थी, हमारी यह स्पष्ट राय है कि आयु में अंतर के आधार पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति अनुचित थी, क्योंकि अधिनियम की धारा 36 (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह त्रुटि तात्त्विक स्वरूप की नहीं है और हम यह मानते हैं कि नामांकन पत्र के अनुचित अस्वीकृति के आधार पर अधिनियम की धारा 100(1)(ग) के तहत अपीलकर्त्ता का निर्वाचन अमान्य है। यही कारण है कि हमने ऊपर बताए अनुसार बिना किसी खर्च (लागत) के आदेश के अपील को खारिज कर दिया है।

एन.वी.के. अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।